



2026:AHC:53983

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7247 वर्ष 2026

महमूद फातिमा

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : फैज़ अहमद

प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किये जाने हेतु प्रस्तावित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी स्वयं को इस आदेश से आहत महसूस करता/करती है, तो इस आदेश में संशोधन/परिवर्तन कराने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत के साथ दाखिल की गई है—

“1. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या-2, अर्थात् तहसीलदार, तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी को निर्देशित किया जाए कि वह वाद संख्या 205263 वर्ष 2017 (प्रदीप कुमार बनाम अशरीफ लाल) में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 21.12.2017 को प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र का निर्णय इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर करे।”

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, तथापि आज तक उक्त प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।



5. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या-2/तहसीलदार, तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी उक्त वाद/प्रकरण का निर्णय विधि के अनुसार यथाशीघ्र तथा अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर, प्रमाणित प्रति को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की तिथि से, अनावश्यक स्थगन प्रदान किये बिना करे, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

16 मार्च, 2026

सुषमा

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)